न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ

. पीठासीन अधिकारी :— प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या :— 50/2020 ई.रे.

1— धुणीपुरी पिता रतनपुरी गुसाई नि. बोहेड़ा तहसील बडीसादडी
2— उंकारपुरी पिता शंकरपुरी गुसाई नि. बोहेड़ा तहसील बडीसादडी
3— पारसपुरी पिता उंकारपुरी गुसाई नि. बोहेड़ा तहसील बडीसादडी
4— जगदीशपुरी पिता शिवपुरी गुसाई नि. बोहेड़ा तहसील बडीसादडी

— प्रार्थीगण

बनाम

1— सुरेश पिता संतोषपुरी गुसाई नि. बोहेड़ा तहसील बडीसादडी
2— गणपतपुरी पिता संतोषपुरी गुसाई नि. बोहेड़ा तहसील बडीसादडी
3— दिनेशपुरी पिता संतोषपुरी गुसाई नि. बोहेड़ा तहसील बडीसादडी
4— राधीबाई बेवा संतोषपुरी गुसाई नि. बोहेड़ा तहसील बडीसादडी
5— श्यामुबाई बेवा संतोषपुरी गुसाई नि. बोहेड़ा तहसील बडीसादडी
6— तहसीलदार बडीसादडी

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंर्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थित— श्री दिनेश कुमार वैष्णव वकील प्रार्थीगण
श्री जी.एस. झाला वकील विपक्षीगण

// निर्णय // दिनांक :— 18/03/2025

प्रार्थीगण की ओर सें प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट के तहत न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया है। जिसकी खाता सं. 371 की आराजी नं. 3711 रकबा 1.0800 है. लगानी 14.04 रूपया, खाता सं. 379 की आराजी नं. 2812 रकबा 0.2400 है. लगानी 6.24 रूपया, खाता सं. 890 की आराजी नं. 1500 रकबा 0.5600 है. लगानी 6.16 रूपया, आराजी नं. 1637 रकबा 0.1300 है. लगानी 1.43 रूपया कुल किता 2 कुल रकबा 0.6900 है. लगानी 7.59 रूपया वाके मौजा बोहेडा तहसील बडीसादड़ी में स्थित है। तथा खाता सं. 104 की आराजी नं. 4639 रकबा 0.1200 है. लगानी 1.32 रूपया, आराजी नं. 4643 रकबा 0.2400 है. लगानी 3.12 रूपया आराजी नं. 4645 रकबा 0.0100 है. ट्यूबवेल, आराजी नं. 4646 रकबा 0.3900 है. लगानी 16.38 रूपया, आराजी नं. 4766 रकबा 1.0800 है. लगानी 14.04, आराजी नं. 4769 रकबा 0.3800 है. लगान 4.94 रूपया कुल किता 6 कुल रकबा 2.2200 है. लगानी 39.80 रूपया वाके मौजा माईगों का [illegible] में स्थित है। तथा खाता सं. 71 की आराजी नं. 4770 रकबा 0.4700 है. लगानी 6.11 रूपया वा[illegible] माईगों का खेडा तहसील बडीसादडी में स्थित है। तथा खाता सं. 58 की आराजी नं. 4653 रकबा 0.18[illegible] आराजी नं. 4650 रकबा 0.0400 है. आराजी नं. 4654 रकबा 0.2200 है। कुल किता 3 कुल रकबा [illegible]0 है. होकर वाके मौजा माईगों का खेडा तहसील बडीसादडी में स्थित है। तथा खाता सं. 57 की आराजी नं. 4636 रकबा 0.0100 है. आराजी नं. 4637 रकबा 0.1000 है. लगानी 1.30 रूपया कुल किता 2 कुल रकबा 0.1100 है. लगानी 1.30 [illegible] वाके मौजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.05.21 10:37:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

माईगों का खेडा तहसील बडीसादडी में स्थित है। तथा खाता सं. 56 की आराजी नं. 4771 रकबा 1.2000 है. लगानी 15.60 रूपया वाके मौजा माईगों का खेडा तहसील बडीसादडी में स्थित है। तथा खाता सं. 5 की आराजी नं. 543 रकबा 2.1800 है. लगानी 17.44 रूपया वाके मौजा विनायका बडीसादडी में स्थित है।

उक्त प्रार्थना पत्र की चरण सं. 2 से 8 में वर्णित आराजीयात पुश्तैनी पैतृक सम्पत्ति की होकर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के पूर्वजों के समय से चली आ रही है। शंकरपुरी की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिस उसके पुत्र रतनपुरी, उंकारपुरी, शिवपुरी, संतोषपुरी व देवपुरी हुए। देवपुरी लाऔलाद फौत हो चुका है इसलिए शंकरपुरी की आराजीयात में शेष चारों पुत्रों का बराबर बराबर हिस्सा यानि कि प्रत्येक का 1/4 हिस्सा है। रतनपुरी की मृत्यु हो चुकी है जिसका वारिस उसका पुत्र प्रार्थी धुणीपुरी है व पुत्रियां चांदीबाई, डालीबाई तथा बेवा भंवरीबाई है जिन्होंने अपना हिस्सा प्रार्थी धुणीपुरी के पक्ष में हक त्याग कर दिया। इसलिए रतनपुरी के 1/4 हिस्से पर प्रार्थी सं. 1 धुणीपुरी काबीज है। उंकारपुरी जीवित होकर प्रार्थी सं. 2 है जिसका 1/4 हिस्सा है शिवपुरी की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिस प्रार्थी सं. 4 जगदीशपुरी एवं नर्बदा, कंचन व उदीबाई उसके पुत्र पुत्रियां एवं बेवा है जो शिवपुरी के 1/4 हिस्से पर काबीज है। संतोषपुरी की भी मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिस उसके पुत्र सुरेश, गणपत व दिनेश है तथा बेवा राधीबाई एवं श्यामुबाई है जो संतोषपुरी के 1/4 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। कुछ खाते में देवपुरी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में रह गया है इसलिए देवपुरी का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर उपरोक्त हिस्से अनुसार आराजीयात प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के खातेदारी में घोषित की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करायी जावें।

1. यह कि मौजा बोहेडा में स्थित नामी खेडा का कुडा जाने वाली 1 बीघा जमीन जिसमें संतोषपुरी का 1/4 हक हिस्सा था, संतोषपुरी ने 1/4 हिस्सें में से कुछ भूमि प्रार्थी संख्या 3 को दिनांक 2.1.2003 को 36000/– रूपये में विक्रय की तथा उक्त दिनांक को ही प्रार्थी संख्या 1 धुणीपुरी को भी 36000/– रूपये में विक्रय कर दी तथा कुछ हिस्सा 36000/– रूपये में दिनांक 2.1.2003 को प्रार्थी संख्या 4 जगदीशपुरी को विक्रय कर दी जिससे खरीदशुदा आराजी पर 17–18 वर्षो से प्रार्थी संख्या 1, 3 व 4 काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है जिससे उक्त आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी में घोषित की जावे तथा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 से 8 में वर्णित आराजीयात पर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण बहामी बटवाड़ा कर अलग अलग काबिज होकर काश्त कर रहे है। तथा बटवाडे के यादाश्त हेतु आपसी लिखापढी भी स्टाम्प पर दिनांक 05.10.2001 को सभी भाईयो ने मिलकर निष्पादित की थी जिसके अनुसार प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है इसलिये वादग्रस्त आराजी का मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन कराया जावे। तथा विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजीयात में जबरन दखलंदाजी नहीं करे न करावे न आराजीयात को रहन, बय, बक्षीश करे न करावे तथा प्रार्थीगण को अपने हक हिस्से की आराजीयात का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे।
2. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 2 से 8 में वर्णित आराजीयात प्रार्थी एवं विपक्षीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। मृतक संतोषपुरी ने अपने हिस्से की आराजी में से कुछ आराजी प्रार्थीगण सं. 1,3 व 4 को विक्रय कर दी है तथा विनायका वाले माल की जमीन में से अपना हिस्सा अर्जुन, हरलाल पिता किशनलाल को विक्रय कर दिया है लेकिन वादग्रस्त आराजीयात में संतोषपुरी की मृत्यु के पश्चात् उसके वारिसान विपक्षी सं. 1 से 5 का राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी में नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर वे आराजीयात को रहन, बय, बक्षीश कर हस्तांतरित करने पर आमदा है तथा आराजीयात की मौके की स्थिति को परिवर्तित करने पर आमदा है तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में आये दिन दखलअंदाजी करते रहते है इसलिए विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजीयात में जबरन दखलअंदाजी नही करे न करावे न आराजीयात को रहन, बय, बक्षीश करे न करावे तथा प्रार्थीगण को अपने हक हिस्से की आराजीयात का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस तलब किया गया । विपक्षी न. 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही में लायी गयी। विपक्षीगण नं. 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता जी.एस. झाला ने पावर के साथ पेश किया । वकील विपक्षी ने अपने जवाब में चरण संख्या 1 से 8 को सही होना स्वीकार किया तथा अपने जवाब में यह खंडन करते

Signature Not Verified
Digitally Signed by Praveen Kumar
Date: 2025.05.21 16:30:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

हुये बताया कि नामीखेडा कुआ जाने वाली जमीन एक बिघा जमीन नहीं होकर ज्यादा है। तथा सन्तोषपुरी ने कोई हक हिस्सा प्रार्थी क्रमांक 1 व 4 को भी दिनांक 02.1.2003 को विक्रय नहीं किया है ना ही उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा है उक्त सभी तथ्य मिथ्या व मनगढंत होने से अस्वीकार है प्रार्थीगण के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है तो वह अपंजीकृत अनस्टाम्पड व फर्जी व कुटरचित होकर साक्ष्य में स्वीकार योग्य नहीं है। तथा ऐसे फर्जी अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर प्रार्थीगण कोई दाद नहीं करने के अधिकारी नहीं है।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई । वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि मूल वाद के निस्तारण तक इस प्रार्थना पत्र को कन्फर्म फरमाया जावे। वकील विपक्षी ने निवदेन किया कि अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थीगण का वाद आधार दस्तावेज अनरजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 2.01.2003 का है जिसके जरिये प्रार्थी संख्या 1, 3, 4 ने भूखंड खरीदा है जिसके आधार पर प्रार्थी खातेदारी घोषणा कराने का अधिकारी नहीं रहता है तथा उक्त दस्तावेज के आधार पर प्रार्थीगण सिविल न्यायालय से ही रिलीफ प्राप्त कर सकते है इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा का खारिज किया जाता हैं ।

निर्णय आज दिनांक 18/03/2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.05.21 10:37:03 IST
Reason: SelfAttested